

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
1st Floor, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna-800015
(Tel: 0612-2210000; Email-udhd.bih@gmail.com)

04/Account-03/2014

The Branch Manager

Panjab National Bank,

SME Branch, Boring Road, Patna.

403

/Ud & Hd

Date: ~~14/2~~ 2017

Please remit the amount through RTGS, as per the following details, by debiting BUDA account for the amount of remittance.

Remitter's Details : Principal Secretary /Additional Secretary-cum-Director, UD&HD

Account Title : Bihar Urban Development Agency (BUDA)-HFA(CENTRAL)

Debit Account No. : SB A/C No.- 3891001200000040 (NULM)

Approval Date : 02.02.17

File No : 04/NULM-38/2016


Beneficiary Details:

SL. No	Beneficiary Name	Account No.	Bank	Branch	IFSC Code	Remittance Amount (Rs.)
1	Biharsharif, Municipal Corporation	3483627734	CBI	Biharsharif	CBIN0283254	300,000.00
2	Gaya, Municipal Corporation	11159905893	SBI	Gaya	SBIN0000079	300,000.00
3	Sitamarhi, Municipal Council	30230218365	SBI	Sitamarhi	SBIN0003435	300,000.00
4	Bagaha, Municipal Council	11598897971	SBI	Bagaha	SBIN0002905	300,000.00
Total=						1,200,000.00 (Twelve Lakh Only)



13/2/17

Additional Secretary-cum-Director,
Urban Development & Housing Dept. (BUDA)
GoB. Patna

Copy:- Copy to All Concerned Municipal commissioner & EO's.


13/2/2017

Principal Secretary,
Urban Development & Housing Dept.
GoB. Patna


13/2/2017

Principal Secretary,
Urban Development & Housing Dept.
GoB. Patna

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

संचिका सं०-04/NULM.-38/2016-

८१०

पटना, दिनांक- 8/1/17

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्था विकास (SM&ID) घटक के अधीन 04 नगर निकायों में गठित किये गये शहरी आजीविका केन्द्र (City Livelihood Centre-CLC) के अधिस्थापन हेतु प्रथम किस्त के रूप में प्रति आजीविका केन्द्र रू० 3,00,000.00 (तीन लाख रू० मात्र) की दर से 04 X 300000.00= कुल 12,00,000.00 रू० (बारह लाख रू० मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर निकायवार प्रति CLC प्रथम किस्त विमुक्त की जाने वाली स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत सी०एल०सी० की सं०	शहरी आजीविका केन्द्र का नाम	प्रति सी०एल०सी० स्वीकृत राशि (रू० में)	प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त की जाने वाली स्वीकृत राशि (रू० में)
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	1	शहरी आजीविका केन्द्र, बिहारशरीफ	10,00,000.00	3,00,000.00
2	नगर निगम, गया	1	शहरी आजीविका केन्द्र, गया	10,00,000.00	3,00,000.00
3	नगर परिषद, सीतामढ़ी	1	शहरी आजीविका केन्द्र, सीतामढ़ी	10,00,000.00	3,00,000.00
4	नगर परिषद, बगहा	1	शहरी आजीविका केन्द्र, बगहा	10,00,000.00	3,00,000.00
				कुल	12,00,000.00

(बारह लाख रू० मात्र)

- संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी स्वीकृत राशि की विमुक्ति, गठित शहरी आजीविका केन्द्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही करेंगे।
- स्वीकृत राशि की विमुक्ति DAY-NULM योजना की संचित राशि से RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापक सं०:-04/NULM.-38/2016-

316

न०वि०एवंआ०वि०/दिनांक-8/1/17

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/टीम लीडर, PMC- NULM, इन्दिरा भवन, 7वाँ तल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।